

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

66 / 2020
29.10.2020

श्रवण पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला— टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय तहसीलदार उनियारा प्रकरण संख्या 1519/2020 दिनांक 18.09.2020

उपस्थिति : (1) श्री दीपचन्द बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 23.03.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 18.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1063,1750 व 1789 कुल रकबा 1.62 है०, किरम बरानी—2 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर फसल काश्त करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 648/रु. पेनल्टी कायम कर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि०एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को



जिला कलेक्टर
टोंक



पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावनापूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया गया है, परन्तु निर्णय में अपीलान्ट को पूर्व में कब कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया गया का उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1063,1750 व 1789 कुल रकबा 1.62 है, किस्म बारानी-2 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल काश्त करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 03 माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, किन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 680/2020 निर्णय दिनांक 18.02.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट के पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1063,1750 व 1789 कुल रकबा 1.62 है, किस्म बारानी-2 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने दिनांक 02.03.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजीयात से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, उक्त आराजीयात पर कोई फसल काश्त नहीं कर रखी है और ना ही भविष्य में मेरा किसी प्रकार से उक्त आराजीयात पर कब्जा रहेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 18.09.2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



च-प्रथ
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोक